हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चतुर्थ सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 34

शनिवार, 15 **दिसम्बर**, 2018/24 **मार्गशीर्ष**, 1940 (**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

1. **प्रश्नोत्तर**

(i) **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्याः 750 (स्थगित) व तारांकित प्रश्न संख्याः 1065 से 1068 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1069 से 1102 तक के उत्तर दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 252 से 268 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश सिंघा, सदस्य ने कहा कि उन्होंने नियम-62 के अंतर्गत चर्चा हेतु प्रस्ताव दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इस विषय में बाद में सूचित करने का आवश्वासन दिया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीं:-

(i) समिति के 287वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 226वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 210वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 322वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 51वां कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के 155वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 211वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "छात्रवृति घोटाले की जाँच

को ठण्डे बस्ते में डालने की तैयारी" से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

उत्तर से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने 12.15 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।
12.19 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य पुनःसदन में उपस्थित हुए।

5. <u>विधायी कार्य</u>

<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित ने विधेयक पर चर्चा की:-

1. श्री राकेश सिंघा
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
3. श्री जगत सिंह नेगी

माननीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री राकेश सिंघा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 व 22 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक 2018 (15 का विधेयक संख्यांक 2018) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और विनियमन) विधेयक 2018 ,(15 का विधेयक संख्यांक 2018) पारित हुआ।

6. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

नियम-324 के अंतर्गत सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, बिक्रम सिंह जरयाल, पवन काजल तथा आशीष बुटेल, सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के विषय प्रस्तुत हुए समझे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

7. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

श्री सुख राम, सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की - "प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही पेयजल/सिंचाई व अन्य कार्यों की देनदारियों पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री रमेश चन्द ध्वाला
2. श्री सुरेश कुमार कश्यप
3. श्री राकेश पठानिया

4. श्री बलबीर सिंह वर्मा
5. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं व अन्य देनदारियों हेतु वांछित लगभग 88.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

8. <u>नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि: "यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2018 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों की शंका पर स्पष्टीकरण</u>

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सत्र के दौरान अपने विषयों को चर्चा हेतु न लिए जाने का विषय उठाए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा - "यह छः दिन का सत्र था और जो भी विंटर सैशन्ज़ हुए हैं, मेरे पास 2005 से लेकर 2018 तक के विंटर सैशन्ज़ की डिटेल है। वर्ष 2005 में नियम-62 के अंतर्गत एक, नियम-63 में एक, नियम-101 में 4, नियम-117 में एक और नियम-130 में 6; इस तरह कुल 13 मामले चर्चा के लिए लगे। इसी प्रकार वर्ष 2006 में 9 मामले, वर्ष 2008 में 13 मामले, वर्ष 2009 में 14 मामले, वर्ष 2010 में 8 मामले और वर्ष 2011 में केवल 2 मामले लगे। वर्ष 2013 में 9 मामले, वर्ष 2014 में 12 मामले, वर्ष 2015 में 7 मामले और वर्ष 2016 में केवल 5 मामले लगे। वर्ष 2017 में क्योंकि महामहिम का अभिभाषण हुआ; नई सरकार थी इसलिए विषय लगने

नहीं थे। मुझे यह बताते हुए संतोष होता है कि वर्ष 2018 में इस सदन में 17 मामलों के ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है।

<u>शीतकालीन सत्र के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण</u>

शीतकालीन सत्र की समाप्ति के अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने सभा द्वारा निपटाए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा - "आज शीतकालीन सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें आयोजित हुईं। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों व अन्य सूचनाओं के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिए गए जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रदेश हित के अनेक विषयों पर बहुमूल्य सुझाव दिए। इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर 304 तारांकित तथा 92 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

सत्र के दौरान नियम-62 के अंतर्गत 5 विषयों, नियम-63 के अंतर्गत एक विषय व नियम-130 के अन्तर्गत 6 प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिनमें माननीय सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसके अतिरिक्त नियम-102 के अंतर्गत सरकारी संकल्प भी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा नियम-101 के अंतर्गत 3 गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई जिनमें एक संकल्प, जो पिछले सत्र में प्रस्तुत हुआ था, उस पर भी चर्चा हुई। पांच सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित हुए जो सार्थक चर्चा के उपरान्त पारित किए गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 9 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना उपलब्ध करवाई गई।

सभा की समितियों ने भी 45 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए। इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों की सूचनाएं, जिन पर समय के अभाव के कारण, मैं स्पैसिफिकली यह रिपीट कर रहा हूं, समय के अभाव के कारण; जैसे राकेश सिंघा जी ने भी विषय रखा, चर्चा नहीं हो सकी तथा कुछ सूचनाएं नियमों की परिधि में न आने के कारण अस्वीकृत की गईं। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन व नियमों की प्रतियां भी सदन के पटल पर रखी गईं। मुझे इसके लिए पूरे सदन को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना है।"

सदन की समाप्ति पर सम्बोधन

सत्र समाप्ति के अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा - "यह सत्र अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रहा और इसमें सभी पक्षों से सहयोग के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के सहयोग का भी धन्यवादी हूं जिन्होंने लगातार माननीय सदन में बैठकर सदन की गरिमा को बढ़ाया। मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले जिसमें मैं काफी हद तक कामयाब भी रहा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय मंत्रिगण तथा सभी माननीय सदस्यों का भी मुझे आभार व्यक्त करना है।

मैं विधान सभा सचिवालय के सचिव तथा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिलाधीश व एस.पी. कांगड़ा तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, जिन्होंने दिन-रात इस सत्र की व्यवस्था की; हमारे रहने की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया, का धन्यवाद करता हूं।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी साथियों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन के अंदर घटी घटनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

इस साल का यह अन्तिम सत्र है। मैं आपको बधाई और शुभ कामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि जब हम अगले साल बजट सत्र में मिलेंगे, उससे पहले हम ईसवी सन् 2019 में प्रवेश कर जाएंगे; इसलिए मैं ईसवी सन् 2019 के लिए भी आपको और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को हृदय की गहराई से बधाई देता हूं।"

माननीय मुख्य मंत्री ने शीतकालीन सत्र के सफल संचालन के लिए माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रिगण तथा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि धर्मशाला में यह सत्र बहुत ही अच्छे वातावरण में सम्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हम अपनी बात कहें, दूसरा पक्ष अपनी बात कहे और उसके बाद दोनों में ठीक क्या है, उस ठीक को ठीक मान कर चलें।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि आम तौर पर सत्र एक सप्ताह में पांच दिन का होता है तथा शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है लेकिन हमने इस बात पर विचार किया कि हम सोमवार से शनिवार तक; शनिवार को भी वर्किंग डे के रूप में रखेंगे। माननीय मुख्य मंत्री ने एक कलेंडर वर्ष में सदन की निर्धारित 35 बैठकों की संख्या के नजदीक पहुंचने पर माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 6 दिन के इस सत्र के दौरान बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है क्योंकि यह एक अलग परिस्थिति का सत्र होता है।

माननीय मुख्य मंत्री ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का विधान सभा सत्र के सफल संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने सदन में सबसे वरिष्ठतम सदस्य श्री वीरभद्र सिंह जी का इस बात के लिए विशेषकर धन्यवाद किया कि वे पूरा समय सदन में उपस्थित रहे।

माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में उपस्थित सभी को तथा समस्त प्रदेशवासियों को आने वाले नव-वर्ष की शुभ कामनाएं दी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि इस सत्र में अंतिम समय तक काम हुआ है और अंतिम क्षणों तक मुद्दे रखे गए हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्र में पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होता है। उन्होंने कहा कि यह सत्र बहुत बढ़िया चला है तथा सदन में बहुत सार्थक चर्चाएं हुई हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने सदन के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सभी सदस्यों, मीडिया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का उनके मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने अन्य सदस्यों की अपेक्षा सदन को अपना अधिक समय दिया है।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(02.25 **बजे अपराह्न सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।**)

(डॉ0 राजीव बिन्दल) **(यशपाल शर्मा)**

अध्यक्ष सचिव